



कार्यालय समन्वयक, प्री.डी.एल.एड.-2025
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा 324021



सामान्य दिशा – निर्देश

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2025

प्रो. कैलाश सोडाणी

मुख्य समन्वयक एवं कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

डॉ. रवि गुप्ता
समन्वयक

डॉ. संदीप हुड्डा
सह-समन्वयक

कार्यालय

समन्वयक, प्री डी. एल. एड. 2025

गार्गी भवन, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग,

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा, रोड, कोटा, (राज.) 324021

मो. :- 9116828238

वेबसाईट :- <http://predeledraj2025.in> , Email id – helpdeskpredeled@vmou.ac.in

Pre D.El.Ed Examination, 2025

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा , 2025

(Formerly Known as B.S.T.C)

सामान्य दिशा निर्देश

पत्रांक प. 7(6) प्राशि / आयो / 2021- 01857 (RajKaj Ref 13499387) दिनांक 11-02-2025 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा, 2025 के आयोजन के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

क्रम संख्या.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता	06-03-2025
2	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	11-04-2025
3	परीक्षा की तिथि	01 जून 2025 (संभावित)

(A.) पात्रता : शैक्षणिक योग्यता :

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे: -

शिक्षक पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण सामान्य	अनु.जाती/ अनु. जनजाति/	ओ.बी.सी. (अ.पि.व. / एस. बी. सी./ एम. बी. सी. / ई. डब्लू. एस.	दिव्यांग (40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता)	विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा/ महिलाएं
D. El. Ed. (सामान्य / संस्कृत) 2025	50%	45%	45%	45%	45%

➤ वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। (उदाहरण के लिए – यदि किसी सामान्य एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में क्रमशः 49.99 प्रतिशत, 44.99 प्रतिशत अंक है तो वे अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए अयोग्य होंगे)

➤ जो अभ्यर्थी वर्ष 2025 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं / हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता के सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(B.) आयु : अभ्यर्थी की आयु 01 जून, 2025 को 28 वर्ष से अधिक ना हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों / नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी।

(C.) आरक्षण : प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।

(D.) आवेदन प्रक्रिया:

1- आवेदन – ऑनलाइन आवेदन द्वारा हमारी अधिकृत वेबसाइट : <https://predeledraj2025.in> के माध्यम से किये जा सकेंगे।

- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई – मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई के जरिये किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कोपी प्रिंट कर सकेंगे।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे, कार्यालय को हार्ड कोपी प्रेषित ना करें। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र / ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट ले तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कोपी अपने पास संभाल कर रखें, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो इस के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. आवेदन शुल्क :

- D. El. Ed. (सामान्य) अथवा D. El. Ed. (संस्कृत) – किसी एक पाठ्यक्रम हेतु - 450/-
 - D. El. Ed. (सामान्य) एवं D. El. Ed. (संस्कृत) – दोनों पाठ्यक्रम हेतु - 500/-
- नोट : - इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल (Refundable) नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पूर्ण पात्रता रखते हैं, केवल वे ही आवेदन करें।
- अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें।
 - परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं तथा संभव ई मेल अथवा SMS के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी। अतः अभ्यर्थी अपना स्वयं का सही एवं सक्रिय मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी भरें।
 - हेल्पलाइन नंबर : 9116828238 प्रातः 08:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक
 - Email id: - helpdeskpredeled@vmou.ac.in
 - Website : - <https://predeledraij2025.in>

विशेष सूचना :- जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया हुआ है ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करें।

नोट:-

- ऑन-लाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक, आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑन-लाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा-10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें।
- अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं, फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाईल नम्बर, ई मेल में कोई संशोधन है तो सही कर लें।
- आवेदन पत्र में अपलोड किये जाने वाला पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो (दाढ़ी में / क्लीन शेव) लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा

- लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंकतालिका अपलोड करनी होगी।
- IV. यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तब अंतिम भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा एवं उसी आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा | दो या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फार्म निरस्त किये जा सकते हैं।
- V. आवेदक अपना ऑन-लाइन आवेदन-पत्र भरते समय अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। तत्पश्चात ही सबमिट (SUBMIT) बटन दबाएँ। प्रविष्टियों के सही होने के सम्बन्ध में ई-मित्र संचालक, साइबर कैफे, कियोस्क कंप्यूटर एजेन्सी या कम्प्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें अर्थात् स्वयं भली-भांति सत्यापन कर लें।
- VI. पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली-भांति जांच कर लेवें कि इसमें रही त्रुटि/त्रुटियों में संशोधन कर लें अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं।



प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 के लिए सामान्य निर्देश

आवेदन सम्बन्धी अन्य निर्देश :-

- अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो (अधिकतम 100 KB), अंगूठा निशानी (अधिकतम 100 KB) और हस्ताक्षर (अधिकतम 100 KB) अलग – अलग JPG/JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर लें। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब केटेगरी (विधवा / तलाकशुदा / दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक/ टाडा सहरिया इत्यादी) प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें।
- वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित व सम्भाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात् काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा।
- ऑन लाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख-रेख में सावधानी पूर्वक भरवाएँ। आवेदन-पत्र किसी अन्य जरिये, जैसे – ई-मित्र, साइबर कैफे, ऑपरेटर आदि, द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार आवेदन-पत्र में सावधानी पूर्वक जाँचने के पश्चात् ही फॉर्म सबमिट करें।
- परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गयी है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। केन्द्र आवंटन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
- प्रवेश पत्र केवल वेबसाइट <https://predeledraj2025.in> पर ही उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट कर के परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।
- ऑन लाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध हेल्प लाइन नम्बर 9116828238 पर 08:00 AM से 08:00 PM तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D. El. Ed.) सामान्य / संस्कृत प्रवेश परीक्षा, अल्पभाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हों, ऑन लाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें।
- समस्त प्रकार के सम्भावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र कोटा जिला न्यायालय रहेगा।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (D. El. Ed.) में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डानुसार होनी अनिवार्य है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा अन्यथा नहीं।
- जो अभ्यर्थी वर्ष-2025 में सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं/ हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें काउंसलिंग के समय तक निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के साथ सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी की आयु 01 जून, 2025 को 28 वर्ष से अधिक न हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों / नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी।
- राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही अभ्यर्थी दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनमें शारीरिक दोष/अक्षमता हो जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डालें जैसे गुंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्णरूप से बहरा होना दोनों हाथों का नहीं होना जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके दोनों पैरों का नहीं होना, जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे।

- सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) में आरक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे, जिसकी जानकारी समय-समय पर अधिकृत वेब साइट से प्राप्त की जा सकेगी।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ टाडा/ सहरिया के प्रमाण-पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण-पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण-पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा।
- आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवासी (बोनाफाइड) होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम.) के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो।
- **राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण देय नहीं होगा।**
- अन्य पिछड़ा (OBC) वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (SBC/MBC) आदि के सम्बन्ध में जारी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमीलेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 03 वर्ष तक ही किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा।
- विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र, जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी के तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।
- आवश्यक प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए अन्यथा मान्य नहीं होंगे।
- सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेंगी।
- प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।
- अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/ संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोर्ट में नोडल एजेंसी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 संस्कृत में प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान (संस्कृत) की कुल सीटों में से 75% सीटों पर वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा एवं शेष 25% सीटों पर 12वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- **भूतपूर्व सैनिकों एवं रक्षा आश्रितों (Defence: ARMY, NAVY, AIRFORCE) हेतु सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। B.S.F, C.R.P.F. सीमावर्ती बलों एवं अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।**

नोट- उपर्युक्त निर्देशों में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों, अर्हताओं, योग्यताओं एवं नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विधि सम्मत प्रक्रिया/माननीय न्यायालय के आदिनांक निर्णयों से पूर्ण/आंशिक विभेद होने पर इन्हें अन्तिम नहीं माना जाएगा। विभिन्न तिथियों में सार्वजनिक हित में शासन द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के अनुसार परिवर्तन सम्भव है तथा ऐसे किसी अपरिहार्य परिवर्तन/ संशोधन / संवर्धन को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसी समस्त सूचनाएँ हमारी वेबसाइट <https://predeledraj2025.in> पर अपडेट कर दी जायेंगी।

अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. आवेदकों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोजेक्शनल रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी। उक्त परीक्षा में बैठने से पूर्व योग्यता दस्तावेज नहीं चाहे गये हैं तदुसार परीक्षा में बैठने की प्रदत्त अनुमति से अभ्यर्थी को योग्यता अर्जित नहीं होगी, इसका निर्धारण सक्षम स्तर पर प्रवेश के समय प्रस्तुत किये दस्तावेज के आधार पर ही विनिश्चित होगा।
2. सभी अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे समय समय पर प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 की वेबसाइट <https://predeledraj2025.in> का अवलोकन कर जारी की जाने वाली अद्यतन सूचनाओं से अवगत रहें।

कानूनी विवादों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :-

सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल कोटा होगा।